छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल

Email add- hocecb@gmail.com

//विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में शीघ्रलेखक के 02 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से दिनांक 07/08/2018 से दिनांक 04/09/2018 को रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.cgvyapam.choice.gov.in पर दी गई है। रिक्त पदो का विवरण आरक्षणवार एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :–

क्र	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	श्रेणी	सीधी भर्ती के रिक्त पद								
				कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू. सै.	निःशक्तजन	योग	न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता
1	शीघ्र लेखक	लेवल 07 28700 – 91300	तृतीय	02	अनारक्षित	01	–	–	–	01	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था/ शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से – (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए – हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए – अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) द्विभाषी–शीघ्रलेखक के लिए – ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट हिन्दी
					अनुसूचित जनजाति	01	–	–	–	01		

												तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)

यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगे। परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी नियम व्यापम की वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर

छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर (छ.ग.)

//विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर मे शीघ्र लेखक वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 रू. 28700 – 91300 के रिक्त 02 पद, अनारक्षित–01, अनुसूचित जन जाति–01 की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जानी है। अतः अर्हता प्राप्त आवेदको से आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से आमंत्रित किए जाते है, विज्ञप्ति जारी होने की तिथि के पूर्व के तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिती में विचार नहीं किया जायेगा।

–:भर्ती की पात्रता एवं शर्ते:–

शीघ्र लेखक हेतु शैक्षणिक योग्यता :–

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2. मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था/ शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से – (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए – हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए – अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)।

   (ग) द्विभाषी–शीघ्रलेखक के लिए – ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)।

   मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)

महत्वपूर्ण :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन प्रस्तुत करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर, उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

–: आयु सीमा :–

1. उम्मीदवार की आयु दिनांक 01/01/2018 को न्यूनतम 21 वर्ष (प्रयोगशाला परिचारक हेतु 18 वर्ष) एवं अधिकतम 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। आयु संबंधी प्रमाण के लिये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी का प्रमाण–पत्र/अंकसूची एवं समस्त शैक्षणिक अर्हता हेतु अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

–: निरर्हता :–

1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।
2. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी

   परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
3. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये

   परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
4. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
5. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा

   परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।
6. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1– आवेदन पत्र व्यापम द्वारा नियत प्रारूप में ऑनलाईन किये जा सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 07/08/2018 है। ऑनलाईन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि 04/09/2018 रात्रि 11:59 तक है।

2– जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

3– ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्ध्दशासकीय संस्था में सेवारत है उन्हे अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु नियोक्ता के माध्यम से अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करें अथवा नियोक्ता की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न कर अपना आवेदन प्रेषित करें।

चयन प्रक्रिया

1– उपरोक्त रिक्त पद पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर (छ.ग.) द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, और उक्त सूची के अनुसार मेरिट के 10 गुना अभ्यार्थियों को कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा। कम्प्यूटर दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जिसके आधार पर व्यापम द्वारा अभ्यार्थियों के नाम आबंटित किये जायेगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

2– समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में लिखित अंक समान होते है, तो ऐसी स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

3– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को होगा।

4– चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– चयनित उम्मीद्वार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीद्वारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन इस हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किए जाने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा।

6– सेवा की अन्य शर्ते शीघ्र लेखक के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) विनियम, 2014 के अनुसार होंगी।

7– यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तो के अनुसार किसी भी समय, सेवा समाप्ति की जा सकती है।

8– चयनित कर्मचारी की सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्त अधिकारी को या नियुक्त द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

9– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को होगा।

10– चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

11– चयन प्रक्रिया के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा बहुविकल्प आधार पर आयोजित की जाएगी। पद अनुसार परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है :–

1. शीघ्र लेखक – कुल अंक 200
   1. सामान्य ज्ञान – 100 प्रश्न, कुल 100 अंक
   2. विषय – सिलेबस संलग्न। कुल 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 02 अंको का होगा) – कुल 100 अंक

परीक्षा शुल्क

सामान्य वर्ग	– रू. 350/–
अन्य पिछड़ा वर्ग	– रू. 250/–
अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्तजन	– रू. 200/–

परीक्षा शुल्क नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा।